(1) (76)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर, कैम्प रीवा, म०प्र०

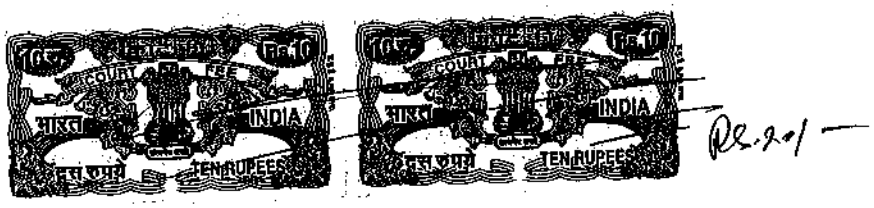

Rs. 20/-

R-4152-III/14

1- गदाधर सिंह तनय कामता सिंह

2- चन्द्रकली पत्नी स्व. कांग्रेस सिंह

दोनो निवासी ग्राम जनार्दनपुर, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना म०प्र० - -- निगरानीकर्तागण

बनाम

1- राजेन्द्र सिंह तनय जंगजीत सिंह

2- शोभनाथ सिंह } पिता यज्ञभान सिंह

3- जीतेन्द्र सिंह }

4- प्रताप सिंह } पिता बीरेन्द्र सिंह

5- पुष्पराज सिंह }

6- अजीत सिंह तनय लोकनाथ सिंह

7- राजमणि सिंह तनय यज्ञभान सिंह {फौत} वारिस,

{अ} बेवा हीरावती सिंह पत्नी राजमणि सिंह

{ब} आनन्द बहादुर सिंह }

{स} हंसराज सिंह } पिता राजमणि सिंह

{द} पंचराज सिंह }

8- हीरामणि सिंह तनय जयराम सिंह

9- रघुराज सिंह }

10- मार्तण्ड सिंह } पिता जयराम सिंह

11- महेन्द्र सिंह }

12- धर्मा देवी पत्नी बीरेन्द्र सिंह

गदाधर सिंह

817
24.11.14

अनिरुद्ध सिंह एड. के द्वारा आज दिनांक 24.11.14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3848
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक .... को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 4152-III/14 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-3 –2016	यह निगरानी तहसीलदार रामपुर बघेलान के प्रकरण कमांक 91/अ–27/11–12 में पारित आदेश दिनांक 21–10–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।	
	2/ आवेदक अधिवक्ता श्री अनुरूद्ध सिंह के तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत तर्कों एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संदर्भ में मेरे द्वारा आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया गया ।	
	3/ अवलोकन करने पर पाया गया कि विद्वान तहसीलदार द्वारा उभयपक्ष के तर्क श्रवण करने के बाद आवेदक की ओर से प्रस्तुत आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 का आवेदन स्वीकार किया जाकर मृतक के वारिसों का सजरा खानदान एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश देने के साथ वारिसानों को प्रकरण में योजित करने के बाद वारिसानों की तलवी करने हेतु प्रकरण नियत किया गया । यह स्पष्ट है कि मृतक के खानदान एवं सजरा तथा मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही उनके विधिक वारिसान का सजरा होने के आधार पर ही प्रकरण में योजित किया जा सकता है । इस प्रकार आवेदक का यह कहना कि (जैसा कि निगरानी मेमों के बिन्दु कमांक 7 में अंकित किया जाकर आपत्ति उठायी गयी है) कि बिना मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किए एवं बिना सजरा खानदान प्राप्त किए वारिसानों की तलवी बिना तलवाना के करने के आदेश दिया जाना विधि विरूद्ध है, विचार योग्य है क्योंकि आपतिक जानकारी प्राप्त करने के बाद ही	

निग0 4152–तीन/14 जिला सतना

आजाद / राजेन्द्र सिंह

वारिसों को योजित किया जाकर तलवी हेतु सूचना पत्र जारी किया जाना चाहिए ।

4/ अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार तहसीलदार का आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार को यह निर्देश दिए जाते है कि वे प्रकरण में मृतक के विधिक वारिसानों की जानकारी सजरा खानदान पहले प्राप्त करें और तदनुसार वारिसानों को प्रकरण में संयोजित करें तथा तलवी हेतु तलवाना प्राप्त करें । तदुपरान्त प्रकरण में समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करें । उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा0रि0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य